छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 369/2006

श्री भजनदास हबलानी,
आत्मज श्री दीपचंद हबलानी,
ए–14, विजय बिहार, तापड़िया कम्पाऊंड,
वल्लभ नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय पंजीयक, सहकारी संस्थाए,
तेलीबांधा, रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. प्रभारी संयुक्त पंजीयक,
कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ,
तेलीबांधा, रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थीगण

:: आदेश ::

(दिनांक 25 जनवरी 2007)

श्री भजनदास हबलानी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

2/ अपीलार्थी द्वारा अपने अपील–पत्र में उल्लेख किया गया है कि उसके द्वारा जन सूचना अधिकारी, कार्यालय पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रायपुर से आवेदन पत्र दिनांक 03–02–2006 के द्वारा राजीव गृह निर्माण सहकारी समिति के संबंध में 19 बिन्दुओं पर जानकारी चाही थी। उक्त कार्यालय के द्वारा संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रायपुर को उक्त आवेदन–पत्र आवश्यक कार्यवाही के लिए पत्र दिनांक 15–02–2006 के द्वारा अग्रेषित किया। संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रायपुर के पत्र दिनांक 10–03–2006 के द्वारा अपीलार्थी के आवेदन–पत्र की प्रति संलग्न करते हुए बिन्दुवार जानकारी चाही। संस्था के द्वारा संयुक्त पंजीयक को सूचित किया गया कि संस्था को शासन से कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है, अतः सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वह लोक प्राधिकारी नहीं है। संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रायपुर के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर जन सूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 08–03–206 को अपीलार्थी को उपलब्ध कराई गई। अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को 15 दिन के अंदर जानकारी निःशुल्क प्रदान करने के निर्देश दिये गये। अपीलार्थी को संयुक्त पंजीयक कार्यालय के द्वारा संस्था से जानकारी मांगी गई, किंतु संस्था के द्वारा जानकारी नहीं दी गई। अपीलार्थी के द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 11–09–2006 को द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

3/ आयोग के द्वारा अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 08–11–2006 को अपीलार्थी श्री भजनदास हबलानी एवं प्रतिअपीलार्थी श्री एस.एल.ध्रुव, जन सूचना अधिकारी, कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रायपुर एवं कार्यालय पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रायपुर से सहायक जन सूचना अधिकारी श्री प्रकाश खोखले उपस्थित हुए। उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। आयोग के द्वारा जानकारी दिये जाने में विलम्ब करने के फलस्वरूप श्री एल.एल.रायस्थ को 25,000/– रूपए का अर्थदण्ड क्यों न आरोपित किया जावे का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। दिनांक 22–12–2006 को अपीलार्थी एवं जन सूचना अधिकारी श्री एस.एल.ध्रुव एवं श्री एल.एल.रायस्थ उपस्थित हुए। उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया।

4/ आयोग के द्वारा अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी श्री एल.एल.रायस्थ, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रायपुर द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया तथा उनके तर्कों को सुना गया। अपीलार्थी के मूल आवेदन–पत्र दिनांक 13–02–2006 से स्पष्ट है कि उसने संस्था की रोकड़ पंजी 1982 से लेकर 2006 तक की प्रति, सदस्य पंजी की प्रति, सभा पंजी की प्रति, विशेष आमसभा बुलाने से संबंधित सूचना–पत्रों की प्रति, आमसभा दिनांक 17–09–1989 में 193 सदस्यों द्वारा सदस्यता वापस लिये जाने संबंधी एवं नये सदस्यों की सूची, सदस्यों के द्वारा अंशपूंजी जमा कराये जाने की प्रति, संस्था के विरूद्ध की गई कार्यवाही की प्रति, संस्था के द्वारा आबंटित भू–खण्ड की सूची, नगर निवेश के द्वारा पारित मानचित्र की जानकारी, श्री विजय अग्रवाल को बेचे गये भू–खण्ड से संबंधित जानकारी आदि जानकारियॉ चाही थी। ये सभी जानकारियां राजीव गृह निर्माण सहकारी समिति से संबंधित हैं। संयुक्त पंजीयक के द्वारा निर्धारित अवधि में भी अध्यक्ष, राजीव गृह निर्माण सहकारी समिति को आवेदन–पत्र की प्रति भेजकर जानकारी भेजने हेतु पत्र लिखा गया। संयुक्त पंजीयक के द्वारा उन्हें स्मरण भी कराया गया तथा यह भी सूचित किया गया कि सहकारिता अधिनियम की धारा–56(3) के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है। किन्तु इसके पश्चात् भी संस्था के क्ष्द्वारा जानकारी नहीं दी गई। संस्था के द्वारा सूचित किया गया कि संस्था चूंकि राज्य शासन से वित्तपोषित नहीं है अतः वह जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है। बिन्दु क्रमांक–5 एवं 6 की जानकारी कार्यालयीन रिकार्ड उपलब्ध न होने से नहीं दी गई। शेष सभी जानकारियाँ संस्था के कार्यालय स्तर की है जो कि संस्था के द्वारा ही उपलब्ध कराई जा सकती है। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में 15 दिन के अंदर निःशुल्क जानकारी अपीलार्थी को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये हैं, किन्तु इस संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया कि संस्था के पास उपलब्ध जानकारी संयुक्त पंजीयक के द्वारा किस प्रकार दी जा सकती है तथा कौनसी जानकारी संयुक्त पंजीयक कार्यालय के द्वारा दी जाना चाहिए।

5/ अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि उसे जानकारी प्राप्त नहीं हुई। अतः संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जावे। प्रकरण से स्पष्ट है कि राजीव गृह निर्माण सहकारी संस्था के द्वारा जानकारी इस आधार पर नहीं दी गई कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–2(एच)(डी) के अंतर्गत राज्य शासन के द्वारा वित्तपोषित नहीं है, अतः वह लोक प्राधिकारी न होने से जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है। यह भी स्पष्ट है कि प्रतिअपीलार्थी संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रायपुर के द्वारा संस्था को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए लिखा गया तथा स्मरण भी कराया गया। उनके द्वारा

जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया। बिन्दु क्रमांक–5 एवं 6 की जानकारी वर्ष 1990 एवं 1995 का रिकार्ड कार्यालय में उपलब्ध होना नहीं बतलाया। यह आपत्तिजनक है कि कार्यालय में अभिलेख उपलब्ध नहीं है, अतः उक्त अभिलेख खोजने का प्रयास किया जावे तथा अभिलेख न मिलने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर कार्यवाही की जावे। यदि अभिलेख किसी अन्य प्रकार से पुनर्गठित किया जा सकता हो तो उसे भी किया जाकर आवेदक को सूचित कर जानकारी दी जावे। छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम की धारा–28 के अंतर्गत सदस्य को समिति का रिकार्ड देखने का अधिकार है। पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, छत्तीसगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि ऐसी संस्थाओं के विरूद्ध जो कि नियमानुसार अभिलेख न रखने तथा सदस्यों को जानकारी न देने के लिए दोषी हैं के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने पर विचार करें। चूँकि जन सूचना अधिकारी एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ के द्वारा जानबूझकर अथवा दुर्भावनावश अभिलेख अपीलार्थी को उपलब्ध न कराने का प्रमाण नहीं है। संस्था के द्वारा अभिलेख न दिये जाने के कारण तथा कार्यालय में अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण अपीलार्थी को जानकारी नहीं दी जा सकी, अतः उक्त दोनों अधिकारी जन सूचना अधिकारी एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ के विरूद्ध अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है।

6/ उपरोक्तानुसार निर्देशों के साथ अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलार्थी को हुई मानसिक एवं आर्थिक क्षति हेतु कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारिता विभाग, रायपुर 500/– रूपए की क्षतिपूर्ति प्रदान करने का आदेश दिया जाता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त